

फोन : कार्यालय 0551-2340363

प्रेषक,

कुलसचिव,

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर - 273009



इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

पत्रांक : सम्बद्धता/प्राचार्य/2024/04/ 5049

दिनांक 29/04/2024.

सेवा में,

प्रबन्धक,

अखिलभाग्य महाविद्यालय, रानापार,

गोरखपुर।

विषय : अयचित्त प्राचार्य के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

संबन्धित/संबन्धित,

उपर्युक्त दिवसक आपके पत्र दिनांक 18.03.2024 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन-समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्राचार्य के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि, संदर्भित व्यक्ति का किसी अन्य महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में कार्यरत/अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत अनुमोदन-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। प्राचार्य का विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	पद/विषय	शै0योग्यता
1	डॉ० श्रीमती राजिनी राय	श्री गोरखनाथ राय	08.06.1977	प्राचार्य	Ph.D.-2004

नोट-

- उपर्युक्त अयचित्त प्राचार्य का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया है कि यदि यह प्रकाश में आता है कि उक्त शिक्षक कहीं अन्यत्र कार्यरत हैं, तो उनका अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- अनुमोदित प्राचार्य का वेतनमान/वेतन का स्पष्ट उल्लेख नियुक्ति पत्र एवं संविदा-पत्र में करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय, अन्यथा की स्थिति में अनुमोदन निरस्त माना जायेगा।
- डॉ० श्रीमती राजिनी राय का सहायक आचार्य हिन्दी पर संदर्भित महाविद्यालय में ही विश्वविद्यालय के पत्रांक 1602/सम्बद्धता/2006 दिनांक 28.08.2006 द्वारा अनुमोदन हुआ था, जिसके कारण अनुमोदन एवं अनुभव स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होने के दृष्टिकोण अनुमोदन-पत्र निर्गत है। इसमें किसी प्रकार की असत्यता पाई जाती है तो, प्राचार्य का अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

शर्तें-

- महाविद्यालय में प्रवक्ता/प्राचार्य की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
- शासनादेश संख्या 968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30, मई, 2013 एवं शासनादेश संख्या 226/सत्तर-2-2020-18(31)/2018 दिनांक 13 मार्च, 2020 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित कार्यक्रमों के छात्रों के शुल्क से प्राप्त सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा शिक्षकों के वेतन पर व्यय किया जाय तथा प्रवक्ता/प्राचार्य को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतनमान/वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त प्रवक्ता/प्राचार्य एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टेबिलिटी चेक द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
- प्रवक्ता/प्राचार्य के लिए अंशदायी भविष्य निधि (वन्द्रीब्यूटी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

(प्रो० शाब्तनु रस्तोगी)

कुलसचिव

फोन : कार्यालय - 0551 - 2340363  
आवास - 0551 - 2201507  
प्रेषक,



कुलसचिव,  
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर - 273009

इस कार्यालय को भेजे जाने  
वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र  
व्यवहार की संख्या, दिनांक  
तथा उद्धृत विभाग का नाम  
दिया जाय ।

पत्रांक.....3640...../सम्बद्धता/2010  
दिनांक.10./.../2010

सेवा में,

प्राचार्य,  
अखिल भाग्य महाविद्यालय,  
रानापार, गोरखपुर।

विषय: स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक: 21.09.2010 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर मानकानुसार अधोलिखित प्रवक्ता के चयन का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है:-

स्नातकोत्तर-कला संकाय

क्र. सं.	प्रवक्ता का नाम	विषय
1.	डॉ० भोलानाथ मिश्र	प्रवक्ता राजनीतिशास्त्र
2.	डॉ० शशि भूषण पोद्दार	प्रवक्ता राजनीतिशास्त्र
3.	डॉ० भावना मिश्रा	प्रवक्ता समाजशास्त्र
4.	श्री योगेन्द्र	प्रवक्ता समाजशास्त्र
5.	डॉ० मोहिनी मौर्या	प्रवक्ता समाजशास्त्र

शर्तें-

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09., मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. शासनादेश संख्या: 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. प्रवक्ता की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 के अन्तर्गत रोरटर भी सुनिश्चित किया जाय।  
संलग्नक: 1. शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक: 09., मई, 2000 की प्रति।  
2. शासनादेश संख्या: 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97, दिनांक: 11, मार्च, 2005 की प्रति।

भवदीय,

  
कुलसचिव

5.10.10 P. 2011/2011

फोन : कार्यालय - 0551 - 2340363  
आवास - 0551 - 2201507  
प्रेषक,



कुलसचिव,  
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर - 273009

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

पत्रांक 3757 / सम्बद्धता / 2011  
दिनांक 17 / 02 / 2011

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य,  
अखिलभाग्य महाविद्यालय,  
रानापार, गोरखपुर।

विषय: स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत अतिरिक्त वर्ग में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक: 11.12.2010 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर मानकानुसार अधोलिखित प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है:-

क्र. सं.	प्रवक्ता का नाम	विषय
1.	श्री हरिलाल	प्रवक्ता हिन्दी
2.	डॉ (श्रीमती) अनुपम सिंह	प्रवक्ता प्राचीन इतिहास
3.	श्री कृष्णानन्द पाठक	प्रवक्ता इतिहास
4.	श्री अरविन्द कुमार	प्रवक्ता भूगोल
5.	डॉ0 राजेन्द्र श्रीवास्तव	प्रवक्ता राजनीतिशास्त्र
6.	डॉ (श्रीमती) प्रीति सिंह	प्रवक्ता समाजशास्त्र

शर्तें-

- महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09., मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- शासनादेश संख्या: 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
- प्रवक्ता की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 के अन्तर्गत रोस्टर भी सुनिश्चित किया जाय।  
संलग्नक: 1. शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09., मई, 2000 की प्रति।  
2. शासनादेश संख्या: 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 की प्रति।

भवदीय,

कुलसचिव

11/2/11  
14/2/2011

फोन : कार्यालय - 0551 - 2340363

आवास - 0551 -

प्रेषक,

कुलसचिव,  
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर - 273009



इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

पत्रांक 7300 / सम्बद्धता / 2012

दिनांक 08/09/2012

सेवा में,

प्रबन्धक,  
अखिलभाग्य महाविद्यालय  
रानापार, गोरखपुर

विषय: स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत संस्कृत, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, मनोविज्ञान एवं भूगोल विषयों में प्रवक्ता के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 23.07.2012 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत संस्कृत, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, मनोविज्ञान एवं भूगोल विषयों में प्रवक्ता के चयन का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है -

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	विषय
1.	डॉ० राजेश्वर मिश्र	प्रवक्ता, संस्कृत
2.	डॉ० राजू कुमार गुप्त	प्रवक्ता, अर्थशास्त्र
3.	डॉ० बजरंग बहादुर सिंह	प्रवक्ता, शिक्षाशास्त्र
4.	डॉ० अभय प्रताप सिंह	प्रवक्ता, मनोविज्ञान
5.	डॉ० मनोज कुमार दुबे	प्रवक्ता, भूगोल

शर्तें-

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. शासनादेश संख्या: 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणकर्त कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।

संलग्नक: 1. शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09, मई, 2000 की प्रति।

2. शासनादेश संख्या: 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 की प्रति।

भवदीय,

4/7/12

कुलसचिव

06/08/2012



# दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर -273009

पत्रांक: दी0द0उ0गो0वि0वि0/सम्बद्धता/2013/1175

दिनांक.....16/ 8 /2013

सेवा में,

प्रबन्धक,  
अखिलभाग्य महाविद्यालय  
रानापार, विशुनपुरा वाया बरही, गोरखपुर

**विषय:** स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम में तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी एवं प्राचीन इतिहास विषयों में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 05.07.2013 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम में तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी एवं प्राचीन इतिहास विषयों में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है—

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	विषय
<b>स्नातक: वाणिज्य संकाय</b>		
1.	डॉ0 मीनाक्षी श्रीवारस्तव	प्रवक्ता, बी0काम0
2.	डॉ0 कीर्ति प्रकाश मिश्र	प्रवक्ता, बी0काम0
3.	डॉ0 अशोक कुमार विन्द	प्रवक्ता, बी0काम0
<b>स्नातकोत्तर: कला संकाय</b>		
1	डॉ0 सुनैना उपाध्याय	प्रवक्ता, हिन्दी
2	डॉ0 निरंजन तिवारी	प्रवक्ता, हिन्दी
3	डॉ0 प्रिया राय	प्रवक्ता, हिन्दी
4	डॉ0 अनिल कुमार श्रीवारस्तव	प्रवक्ता, प्राचीन इतिहास
5	डॉ0 (श्रीमती) अन्नपूर्णा राय	प्रवक्ता, प्राचीन इतिहास
6	श्री जगदीश	प्रवक्ता, प्राचीन इतिहास

शर्तें—

- महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट का उल्लेख किया जाय।
- शासनादेश संख्या: 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबंध पत्र में दिये जाने वाले वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेरी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
- अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

उप कुलसचिव (सम्बद्धता)  
14/8/13  
12/8/2013



# दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर -273009

पत्रांक: दी0द0उ0गो0वि0वि0 /सम्बद्धता/2014/928

दिनांक: 27/05/2014

सेवा में,

प्रबन्धक,  
अखिल भाग्य महाविद्यालय,  
रानापार, विशुनपुरा, गोरखपुर।

विषय: स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषयों में प्रवक्ता के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 30.04.2014 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषयों में प्रवक्ता के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि भविष्य में यदि कोई विसंगति चयनों के सम्बन्ध में उत्पन्न होती है या फिर प्रस्तुत कोई सूचना त्रुटिपूर्ण/भ्रामक/असत्य पाई जाती है तो महाविद्यालय प्रशासन तथा प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध नियमानुसार उचित एवं आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

क्र.सं.	विभागाध्यक्ष/प्रवक्ता का नाम	विषय
स्नातक : विज्ञान संकाय		
1	श्री प्रशान्त शाही	प्रवक्ता, भौतिक विज्ञान
2	श्री दिनेश कुमार पटेल	प्रवक्ता, रसायन विज्ञान
3	डा0 आराधना सिंह	प्रवक्ता, प्राणि विज्ञान
4	डा0 प्रकाश वर्मा	प्रवक्ता, वनस्पति विज्ञान
5	डा0 अजीत कुमार	प्रवक्ता, गणित

नोट:- उपर्युक्त चयनित प्रवक्ताओं में श्री प्रशान्त शाही एवं श्री दिनेश कुमार पटेल का नेट प्रमाण पत्रों की यू0जी0सी0 से वेरिफिकेशन एक माह के अन्दर कराकर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। एक माह के अन्दर उक्त प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त चयनित अभ्यर्थियों का चयन अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

शर्तें-

- महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट का उल्लेख किया जाय।
- शासनादेश संख्या: 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
- अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

उप कुलसचिव (सम्बद्धता)  
25.05.2014



# दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर - 273009

पत्रांक: सम्बद्धता/2016/1113

दिनांक: 28/07/2016

सेवा में,

प्रबन्धक

अखिलभाग्य महाविद्यालय

रानापार, पोस्ट विशुनपुरा वाया बरही, गोरखपुर

विषय: स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र विषयों में, वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम में, विज्ञान संकाय के अन्तर्गत रसायन विज्ञान विषय में तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी एवं राजनीतिशास्त्र विषयों में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 02.06.2016 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र विषयों में, वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम में, विज्ञान संकाय के अन्तर्गत रसायन विज्ञान विषय में तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी एवं राजनीतिशास्त्र विषयों में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि इन शिक्षकों के किसी अन्य महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में कार्यरत/अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	संकाय	विषय
1	श्री रंजन पटेल	स्नातक, कला	प्रवक्ता, समाजशास्त्र
2	कु0 काव्यांजली तिवारी	स्नातक, कला	प्रवक्ता, अर्थशास्त्र
3	श्री कृष्ण कुमार	स्नातक, वाणिज्य	प्रवक्ता, बी0काम0
4	अकील अहमद	स्नातक, विज्ञान	प्रवक्ता, रसायन विज्ञान
5	डॉ0 शालिनी सिंह	स्नातकोत्तर, कला	प्रवक्ता, हिन्दी
6	रामदास	स्नातकोत्तर, कला	प्रवक्ता, हिन्दी
7	डॉ0 अनूप कुमार सिंह	स्नातकोत्तर, कला	प्रवक्ता, राजनीतिशास्त्र
8	संदीप यादव	स्नातकोत्तर, कला	प्रवक्ता, राजनीतिशास्त्र

नोट:

- चयनित शिक्षकों के नेट प्रमाणपत्रों की यू0जी0सी से वेरिफिकेशन एक माह के अन्दर करा कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। एक माह के अन्दर उक्त प्रमाणपत्रों का वेरिफिकेशन सम्बन्धी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त चयनित अभ्यर्थियों का चयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- उपर्युक्त चयनित शिक्षकों का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया है कि यदि यह प्रकाश में आता है कि उक्त शिक्षक कहीं अन्यत्र कार्यरत हैं तो उनका अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- अनुमोदित शिक्षकों का वेतनमान/वेतन का स्पष्ट उल्लेख संविदा पत्र में करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय, अन्यथा की स्थिति में अनुमोदन निरस्त माना जायेगा।

शर्तें-

- महाविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
- शासनादेश संख्या: 968/70-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30 मई, 2013 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के छात्रों के शुल्क से प्राप्त सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा शिक्षकों के वेतन पर व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतनमान/वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
- अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

प्रभारी/अधीक्षक, सम्बद्धता

20/07/16



# दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर -273009

पत्रांक: सम्बद्धता/2016/1114

दिनांक 20/07/2016

सेवा में,

प्रबन्धक  
अखिलभाग्य महाविद्यालय  
रानापार, पोस्ट विशुनपुरा वाया बरही, गोरखपुर

विषय: स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत गृहविज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों में तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत भूगोल एवं शिक्षाशास्त्र विषयों में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 02.06.2016 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत गृहविज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों में तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत भूगोल एवं शिक्षाशास्त्र विषयों में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि इन शिक्षकों के किसी अन्य महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में कार्यरत/अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	संकाय	विषय
1	कु0 निशा सिंह	स्नातक, कला	प्रवक्ता, गृहविज्ञान
2	अंजू सूरी	स्नातक, कला	प्रवक्ता, अंग्रेजी
3	श्री शशिभूषण राम तिवारी	स्नातकोत्तर, कला	प्रवक्ता, भूगोल
4	राजीव कुमार भारती	स्नातकोत्तर, कला	प्रवक्ता, भूगोल
5	विजय कुमार भास्ती	स्नातकोत्तर, कला	प्रवक्ता, भूगोल
6	रमेन्द्र प्रताप	स्नातकोत्तर, कला	प्रवक्ता, शिक्षाशास्त्र
7	अजय कुमार ओझा	स्नातकोत्तर, कला	प्रवक्ता, शिक्षाशास्त्र
8	संतोष कुमार पासवान	स्नातकोत्तर, कला	प्रवक्ता, शिक्षाशास्त्र

नोट:

- चयनित शिक्षकों के नेट प्रमाणपत्रों की यू0जी0सी से वेरिफिकेशन एक माह के अन्दर करा कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। एक माह के अन्दर उक्त प्रमाणपत्रों का वेरिफिकेशन सम्बन्धी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त चयनित अभ्यर्थियों का चयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- उपर्युक्त चयनित शिक्षकों का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया है कि यदि यह प्रकाश में आता है कि उक्त शिक्षक कहीं अन्यत्र कार्यरत हैं तो उनका अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- अनुमोदित शिक्षकों का वेतनमान/वेतन का स्पष्ट उल्लेख संविदा पत्र में करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय, अन्यथा की स्थिति में अनुमोदन निरस्त माना जायेगा।

शर्तें-

- महाविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
- शासनादेश संख्या: 968/70-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30 मई, 2013 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के छात्रों के शुल्क से प्राप्त सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा शिक्षकों के वेतन पर व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबंध पत्र में दिये जाने वाले वेतनमान/वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
- अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

प्रभारी/अधीक्षक, सम्बद्धता

20/07/16



फोन : कार्यालय - 0551 - 2340363  
आवास - 0551 -  
प्रेषक,



इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

कुलसचिव,  
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर - 273009

पत्रांक : सम्बद्धता/शि.अनु./2017/3674

दिनांक 13.11.2017

सेवा में,

प्रबन्धक,  
अखिल भाग्य महाविद्यालय, रानापार, गोरखपुर।

विषय- चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 21.11.2017 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा० कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत वनस्पति विज्ञान विषय तथा वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी०काम० पाठ्यक्रम तथा स्नातकोत्तर स्तर कला संकाय के अन्तर्गत प्राचीन इतिहास एवं समाजशास्त्र विषय में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि इन शिक्षकों के किसी अन्य महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में कार्यरत/ अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	विषय
1	श्री सरवर अहमद	श्री मुहम्मद मुस्तफा	02-06-1981	प्रवक्ता, बी०काम०
2	डॉ० शोभित कुमार श्रीवास्तव	श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव	15-07-1984	प्रवक्ता, वनस्पति विज्ञान (यू०जी० स्तर)
3	कू० प्रियम्बदा	श्री रविन्द्र प्रकाश मौर्य	05-07-1986	प्रवक्ता, प्राचीन इतिहास (पी०जी० स्तर)
4	डॉ० मनीष कुमार	श्री भागीरथी	12-07-1982	प्रवक्ता, समाजशास्त्र (पी०जी० स्तर)

नोट-

- उपर्युक्त चयनित प्रवक्ता का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया है कि यदि यह प्रकाश में आता है कि उक्त शिक्षक कहीं अन्यत्र कार्यरत हैं, तो उनका अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- अनुमोदित प्रवक्ता का वेतनमान/वेतन का स्पष्ट उल्लेख नियुक्ति पत्र एवं संविदा पत्र में करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में अनुमोदन निरस्त माना जायेगा।

शर्तें-

- महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
- शासनादेश संख्या 968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30, मई, 2013 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के छात्रों के शुल्क से प्राप्त सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा शिक्षकों के वेतन पर व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबंध पत्र में दिये जाने वाले वेतनमान/वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
- अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

प्रभारी/अधीक्षक  
(सम्बद्धता)  
13/11/17

फोन : कार्यालय - 0551 - 2340363  
आवास : 0551 -  
प्रेषक, कुलसचिव,  
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर - 273009



इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

पत्रांक : सम्बद्धता/शि.अनु./2019/(08) 995

दिनांक 20/08/2019

सेवा में,

प्रबन्धक,  
अखिलभाग्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानापार, विशुनपुरा वाया बरही, गोरखपुर।

विषय : चयनित प्रवक्ता के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 31.07.2019 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि इन शिक्षकों के किसी अन्य महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में कार्यरत/ अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा। प्रवक्ताओं का विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	विषय
1	डॉ० सरवर अहमद	श्री मुहम्मद मुस्तफा	02-06-1981	प्रवक्ता, एम०काम०
2	राणा गौरव सिंह	श्री अखिलेश्वर सिंह	10-11-1992	प्रवक्ता, एम०काम०
3	राजेश कुमार	श्री प्रभुनाथ	30-11-1990	प्रवक्ता, एम०काम०

नोट-

- उपर्युक्त चयनित प्रवक्ता का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया है कि यदि यह प्रकाश में आता है कि उक्त शिक्षक कहीं अन्यत्र कार्यरत हैं, तो उनका अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा। अनुमोदित प्रवक्ता का वेतनमान/वेतन का स्पष्ट उल्लेख नियुक्ति पत्र एवं संविदा पत्र में करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में अनुमोदन निरस्त माना जायेगा।
- उपर्युक्त क्रम संख्या 1 से 3 तक चयनित प्रवक्ताओं के NET प्रमाणपत्र का यू०जी०सी० से वेरिफिकेशन एक माह के अन्दर करा कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। एक माह के अन्दर उक्त प्रमाणपत्रों का वेरिफिकेशन सम्बंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त चयनित अम्थर्था का चयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- क्रम संख्या 1 पर चयनित प्रवक्ता डॉ० सरवर अहमद का चयन/अनुमोदन पूर्व में महाविद्यालय के बी०काम० पाठ्यक्रम में था, वर्तमान में डॉ० सरवर अहमद का चयन/अनुमोदन एम०काम० पाठ्यक्रम में किया गया है।

शर्तें-

- महाविद्यालय में प्राचार्य/प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
- शासनादेश संख्या 968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30, मई, 2013 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के छात्रों के शुल्क से प्राप्त सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा शिक्षकों के वेतन पर व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतनमान/वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त प्राचार्य/प्रवक्ताओं एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
- प्राचार्य/प्रवक्ता के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,  
20/08/2019  
प्रमारी/अधीक्षक  
(सम्बद्धता)



इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

पत्रांक : सम्बद्धता/शि.अनु./2019/11-1479

दिनांक 04/12/2019

सेवा में,

प्रबन्धक,  
अखिलभाग्य महाविद्यालय, रानापार, गोरखपुर।

विषय : चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 15.11.2019 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि इन शिक्षकों के किसी अन्य महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में कार्यरत/ अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा। प्रवक्ताओं का विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	विषय
1	अन्जू राय	श्री सुरेन्द्र राय	01-01-1984	प्रवक्ता, हिन्दी (स्नातक स्तर) (स्नातकोत्तर स्तर)
2	आशुतोष राय	श्री राजदेव राय	26-01-1986	प्रवक्ता, भूगोल (स्नातक स्तर) (स्नातकोत्तर स्तर)
3	माधव प्रसाद पाण्डेय	श्री रामनगीना पाण्डेय	02-08-1982	प्रवक्ता, राजनीतिशास्त्र (स्नातक स्तर)
4	डॉ० राधेश्याम झा	श्री बृजकिशोर झा	03-02-1964	प्रवक्ता, भौतिकी (स्नातक स्तर)
5	डॉ० धीरेन्द्र कुमार	श्री गिरीजा शंकर	12-06-1991	प्रवक्ता, रसायन (स्नातक स्तर)
6	कंचन यादव	श्री चन्द्रमान यादव	02-08-1990	प्रवक्ता, रसायन (स्नातक स्तर)
7	डॉ० इरफान अहमद	श्री बैतुल्लाह	09-07-1975	प्रवक्ता, वनस्पति (स्नातक स्तर)
8	संजीव कुमार यादव	श्री रामसकल यादव	30-09-1978	बी०काम०

नोट-

- उपर्युक्त चयनित प्रवक्ता का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया है कि यदि यह प्रकाश में आता है कि उक्त शिक्षक कहीं अन्यत्र कार्यरत हैं, तो उ अन्का अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- अनुमोदित प्रवक्ता का वेतनमान/वेतन का स्पष्ट उल्लेख नियुक्ति पत्र एवं संविदा पत्र में करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में अनुमोदन निरस्त माना जायेगा।
- उपर्युक्त क्रम संख्या 1 से 8 तक चयनित प्रवक्ताओं के NET प्रमाणपत्र का यू०जी०सी० से वेरिफिकेशन एक माह के अन्दर करा कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। एक माह के अन्दर उक्त प्रमाणपत्रों का वेरिफिकेशन सम्बंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त चयनित अभ्यर्थी का चयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- निम्नलिखित चयनित प्रवक्ता के सम्मुख उल्लिखित कमियों के कारण संदर्भित महाविद्यालय में अनुमोदन नहीं किया गया है-

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	कमियाँ
1	विजय कुमार	श्री अयोध्या प्रसाद	10-01-1984	चयनित प्रवक्ता, शिक्षाशास्त्र (स्नातक स्तर)
2	अनिरुद्ध चौरसिया	श्री सुकदेव चौरसिया	05-05-1992	चयनित प्रवक्ता, गणित (स्नातक स्तर)

शर्तें-

- महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
- शासनादेश संख्या 968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30, मई, 2013 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के छात्रों के शुल्क से प्राप्त सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा शिक्षकों के वेतन पर व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतनमान/वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणोत्तर कमियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
- अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,  
[Signature]  
प्रभारी/अधीक्षक  
(सम्बद्धता)  
[Signature]



इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

पत्रांक : सम्बद्धता/शि.अनु./2020/03- 1888

दिनांक 02/10/2020

सेवा में,

प्रबन्धक,  
अखिलभाग्य महाविद्यालय, रानापार, गोरखपुर।

विषय : चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 15.11.2019 एवं 20.12.2019 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि इन शिक्षकों के किसी अन्य महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में कार्यरत/ अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा। प्रवक्ताओं का विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	विषय
1	विजय कुमार	श्री अयोध्या प्रसाद	10.01.1984	प्रवक्ता, शिक्षाशास्त्र (स्नातक स्तर)
2	अनिरुद्ध चौरसिया	श्री सुकदेव चौरसिया	05.05.1992	प्रवक्ता, गणित (स्नातक स्तर)

नोट-

- उपर्युक्त चयनित प्रवक्ता का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया है कि यदि यह प्रकाश में आता है कि उक्त शिक्षक कहीं अन्यत्र कार्यरत हैं, तो उनका अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- अनुमोदित प्रवक्ता का वेतनमान/वेतन का स्पष्ट उल्लेख नियुक्ति पत्र एवं संविदा पत्र में करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में अनुमोदन निरस्त माना जायेगा।
- उपर्युक्त क्रम संख्या 1 से 2 तक चयनित प्रवक्ताओं के NET प्रमाणपत्र का यू0जी0सी0 से वेरिफिकेशन एक माह के अन्दर करा कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। एक माह के अन्दर उक्त प्रमाणपत्रों का वेरिफिकेशन सम्बंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त चयनित अभ्यर्थी का चयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

शर्तें-

- महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयवधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
- शासनादेश संख्या 968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30, मई, 2013 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के छात्रों के शुल्क से प्राप्त सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा शिक्षकों के वेतन पर व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतनमान/वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
- अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

महोदय,

प्रमारी/अधीक्षक  
(सम्बद्धता)

फोन : कार्यालय •

0551-2340363

प्रेषक,

कुलसचिव,

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर - 273009



इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

पत्रांक : सम्बद्धता/शि.अनु./2021/02-1547

दिनांक 24/02/2021

सेवा में,

प्रबन्धक,

अखिलभाग्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय रानापार गोरखपुर।

विषय : चयनित प्रवक्ता के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 08.12.2020 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्रवक्ता के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि इन शिक्षकों के किसी अन्य महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में कार्यरत/ अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा। प्रवक्ताओं का विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	विषय
1	डॉ० रूपा सिंह	श्री श्रीपत सिंह	6-Mar-89	प्रवक्ता, गृहविज्ञान
2	डॉ० अंजू मिश्रा	श्री ध्रुवनारायण मिश्रा	10-Jul-81	प्रवक्ता, गृहविज्ञान
3	डॉ० प्रियंका सिंह	श्री नर्मदा सिंह	25-Jul-90	प्रवक्ता, गृहविज्ञान

नोट-

- उपर्युक्त चयनित प्रवक्ता का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया है कि यदि यह प्रकाश में आता है कि उक्त शिक्षक कहीं अन्यत्र कार्यरत हैं, तो उनका अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- अनुमोदित प्रवक्ता का वेतनमान/वेतन का स्पष्ट उल्लेख नियुक्ति पत्र एवं संविदा पत्र में करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में अनुमोदन निरस्त माना जायेगा।

शर्तें-

- महाविद्यालय में प्राचार्य/प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
- शासनादेश संख्या 968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30, मई, 2013 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के छात्रों के शुल्क से प्राप्त सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा शिक्षकों के वेतन पर व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबंध पत्र में दिये जाने वाले वेतनमान/वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त प्राचार्य/प्रवक्ताओं एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
- प्राचार्य/प्रवक्ता के लिए अशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

डॉ०(ओम प्रकाश)  
कुलसचिव

फोन : कार्यालय - 0551 - 2340363

आवास - 0551 - 2201507

प्रेषक,

कुलसचिव,

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर - 273009

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया

पत्रांक: 1092 / सम्बद्धता / 2008  
सेवा में,

दिनांक: 21 / 09 / 2008

प्रबन्धक,

अखिलभाग्य महाविद्यालय, रानापार,  
गोरखपुर।

विषय : स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में विभागाध्यक्ष/प्रवक्ता चयन अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक आपके पत्र दिनांक: 10.09.2008 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति पत्र दिनांक 26.08.2008 के आधार पर विभागाध्यक्ष/प्रवक्ता के चयन का अनुमोदन सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है:-

क्र.सं.	विभागाध्यक्ष/प्रवक्ता का नाम	विषय
1.	डा० ज्योतिमा राय ( विभागाध्यक्ष)	बी०एड०
2.	श्री सुशील कुमार राय	बी०एड०
3.	श्री ओम प्रकाश सिंह	बी०एड०
4.	श्रीमती आरती माला सिंह	बी०एड०
5.	श्री अरविन्द प्रताप सिंह	बी०एड०
6.	श्री दुर्गेश पाल	बी०एड०
7.	श्री विनय कुमार सिंह	बी०एड०
8.	मो० अकमल अन्सारी	बी०एड०

1. महाविद्यालय में प्रवक्ताओं की नियुक्ति शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09, मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ताओं के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. शासनादेश संख्या: 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षकों को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. प्रवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 के अन्तर्गत रास्टर भी सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक: 1 शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09, मई, 2000 की प्रति।

2 शासनादेश संख्या: 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 की प्रति।

भवदीय,

कुलसचिव

20-9-08

फोन : कार्यालय - 0551 - 2340363  
आवास - 0551 - 2201507  
प्रेषक,



कुलसचिव,  
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर - 273009

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

पत्रांक.....3932...../सम्बद्धता/2011  
सेवा में,  
प्रबन्धक,  
अखिलभाग्य महाविद्यालय, रानापार,  
पो0 विशुनपुरा वाया बरही, गोरखपुर।

दिनांक/3-04/2011

**विषय:** स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक: 23.09.2010 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है -

क्र. सं.	प्रवक्ता का नाम	विषय
1.	श्री अशोक कुमार मिश्र	प्रवक्ता, बी0एड0
2.	श्री शैलेश कुमार सिंह	प्रवक्ता, बी0एड0
3.	श्री पंकज राय	प्रवक्ता, बी0एड0
4.	श्री राकेश मल्ल	प्रवक्ता, बी0एड0

शर्तें-

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09., मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. शासनादेश संख्या: 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. प्रवक्ता की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 के अन्तर्गत रोस्टर भी सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक: 1. शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09., मई, 2000 की प्रति।

2. शासनादेश संख्या: 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 की प्रति।

भवदीय,

कुलसचिव

01/04/11

13/4/11

फोन : कार्यालय - 0551 - 2340363

आवास - 0551 -

प्रेषक,

कुलसचिव,

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,

गोरखपुर - 273009



इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

पत्रांक : दीदउगोविवि/सम्बद्धता/2015/797

दिनांक 09/जुलाई/2015

सेवा में,

प्रबन्धक,

अखिल भाग्य महाविद्यालय, रानापार, विशुनपुरा, गोरखपुर।

विषय : स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत प्रवक्ताओं के चयन अनुमोदन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 07-07-2015 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 35957/2015 में पारित आदेश दिनांक 02-07-2015 के अनुपालन में कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति एवं प्रबंध समिति की स्वीकृति के आधार पर स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि इन शिक्षकों के किसी अन्य महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में कार्यरत/अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	विषय
1	श्री शैलेन्द्र कुमार	फूलबदन राम	प्रवक्ता, बी0एड0 (शिक्षा के परिप्रेक्ष्य)
2	श्री गनेश सिंह	मदगंजन सिंह	प्रवक्ता, बी0एड0 (शिक्षा के परिप्रेक्ष्य)
3	श्री रितेश कुमार केशवरवानी	सुरेश चन्द्र केशरवानी	प्रवक्ता, बी0एड0 (शिक्षा के परिप्रेक्ष्य)
4	श्री तरुण कुमार	एम0 सिंह	प्रवक्ता, बी0एड0 (शिक्षण विषय)
5	श्री अंजनी कुमार राय	लालजी राय	प्रवक्ता, बी0एड0 (शिक्षण विषय)
6	श्री सुरेश कुमार सिंह	राम चन्द्र सिंह	प्रवक्ता, बी0एड0 (शिक्षण विषय)
7	श्री सत्येन्द्र बहादुर सिंह	जनार्दन सिंह	प्रवक्ता, बी0एड0 (शिक्षण विषय)
8	श्री महेन्द्र सिंह	कल्याण सिंह	प्रवक्ता, बी0एड0 (शिक्षण विषय)
9	श्री शैलेश चन्द्र मिश्र	रमेश चन्द्र मिश्र	प्रवक्ता, बी0एड0 (शारीरिक शिक्षा)
10	श्री आशीष रावत	हरिशंकर रावत	प्रवक्ता, बी0एड0 (ललित कला)
11	श्रीमती अपर्णा शुक्ला	अमित शुक्ला	प्रवक्ता, बी0एड0 (निष्पादन कला)

नोट-

क्रम संख्या 01 से 11 तक चयनित प्रवक्ताओं में नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नेट प्रमाणपत्रों की यू0जी0सी0 से वेरिफिकेशन एक माह के अन्दर करा कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। एक माह के अन्दर उक्त प्रमाणपत्रों का वेरिफिकेशन सम्बन्धी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त चयनित अभ्यर्थियों का चयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

अन्य शर्तें-

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति-पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध-पत्र में समयावधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय एवं शासनादेश संख्या 968/70-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30 मई, 2013 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार यह व्यवस्था की जाती है कि कोई प्रतिकूल परिस्थिति न होने पर प्रबन्ध तंत्र संबंधित विश्वविद्यालय के अनुमोदन से शिक्षकों की संविदा का नवीनीकरण अपने स्तर से करते रहेंगे किन्तु प्रतिकूल परिस्थिति होने पर संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा।
2. शासनादेश संख्या 968/70-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30 मई, 2013 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों से शुल्क के रूप में जो सकल धनराशि प्राप्त होती है उसे एक ही बैंक के खाते में रखा जाना उचित होगा और प्रति माह विभिन्न पाठ्यक्रमों की सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत धनराशि शिक्षकों के वेतन पर व्यय को सुनिश्चित करने हेतु खाते का संचालन महाविद्यालय के प्रबंधक एवं प्राचार्य के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। शासनादेश संख्या 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक 11 मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीब्यूटरी-प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

श्री कुलसचिव  
09/07/15

17/8/15



फोन : कार्यालय - 0551 - 2340363

आवास - 0551 -

प्रेषक,

कुलसचिव,

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,

गोरखपुर - 273009



इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

पत्रांक : सम्बद्धता/शि.अनु./2018/4452

दिनांक 22/05/2018

सेवा में,

प्रबन्धक,

अखिलभाग्य महाविद्यालय, रानापार, गोरखपुर

विषय : चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 09.05.2018 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि इन शिक्षकों के किसी अन्य महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में कार्यरत/ अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	विषय
1	अभिषेक त्रिपाठी	श्री वाचस्पति त्रिपाठी	08.07.1990	प्रवक्ता, बी0एड0
2	सुनील कुमार	श्री रामवृक्ष राम	15.01.1983	प्रवक्ता, बी0एड0
3	अमित कुमार	श्री भानू प्रताप सिंह	05.01.1988	प्रवक्ता, बी0एड0
4	संजय कुमार	श्री रामफेर गुप्ता	04.04.1985	प्रवक्ता, बी0एड0
5	पुष्पराज सिंह	श्री श्याम बहादुर सिंह	05.01.1980	प्रवक्ता, बी0एड0
6	नरेन्द्र कुमार पटेल	श्री रामनरेश पटेल	05.07.1991	प्रवक्ता, बी0एड0

नोट-

1. उपर्युक्त चयनित प्रवक्ता का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया है कि यदि यह प्रकाश में आता है कि उक्त शिक्षक कहीं अन्यत्र कार्यरत हैं, तो उनका अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
2. अनुमोदित प्रवक्ता का वेतनमान/वेतन का स्पष्ट उल्लेख नियुक्ति पत्र एवं संविदा पत्र में करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में अनुमोदन निरस्त माना जायेगा।
3. क्रम संख्या 1 से 6 तक चयनित प्रवक्ताओं के नेट प्रमाणपत्रों की यू0जी0सी0 से वेरिफिकेशन एक माह के अन्दर करा कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। एक माह के अन्दर उक्त प्रमाणपत्रों का वेरिफिकेशन सम्बंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त चयनित अम्यर्थियों का चयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

शर्तें-

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समर्थवधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
2. शासनादेश संख्या 968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30, मई, 2013 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के छात्रों के शुल्क से प्राप्त सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा शिक्षकों के वेतन पर व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतनमान/वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

प्रमारी/अधीक्षक  
(सम्बद्धता)

फोन : कार्यालय 0551-2340363

प्रेषक,

कुलसचिव,

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर - 273009



इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

पत्रांक : सम्बद्धता/शि.अनु./2024/01/ 4778

दिनांक 10/02/2024.

सेवा में,

प्रबन्धक,

अखिलभाग्य महाविद्यालय, रानापार, गोरखपुर।

विषय : चयनित सहायक आचार्य के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 09.09.2020 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सहायक आचार्य के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि इन शिक्षकों के किसी अन्य महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में कार्यरत/ अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।

सहायक आचार्य का विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	सहायक आचार्य का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	विषय
1	राजनाथ सिंह	श्री बैजनाथ सिंह	05.10.1983	बी0एड0 (संस्कृत) NET-2014
2	विद्यानन्द सिंह	श्री परमेश्वरी दयाल सिंह	10.08.1988	बी0एड0 (वनस्पति) NET-2014
3	बलवन्त मिश्र	श्री हरिशंकर मिश्र	01.08.1982	बी0एड0 (अर्थशास्त्र) NET-2019

- नोट- 1 उपर्युक्त चयनित सहायक आचार्य का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया है कि यदि यह प्रकाश में आता है कि उक्त शिक्षक कहीं अन्यत्र कार्यरत हैं, तो उनका अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 2 अनुमोदित सहायक आचार्य का वेतनमान/वेतन का स्पष्ट उल्लेख नियुक्ति पत्र एवं संविदा पत्र में करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में अनुमोदन निरस्त माना जायेगा।
- 3 उपर्युक्त चयनित सहायक आचार्य के नेट प्रमाणपत्र का यू0जी0सी0 से वेरिफिकेशन एक माह के अन्दर करा कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। एक माह के अन्दर उक्त प्रमाणपत्रों का वेरिफिकेशन प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त चयनित अभ्यर्थी का चयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- शर्त- 1 महाविद्यालय में प्रवक्ता/प्राचार्य की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
- 2 शासनादेश संख्या 968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30, मई, 2013 एवं शासनादेश संख्या 226/सत्तर-2-2020-18(31)/2018 दिनांक 13 मार्च, 2020 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के छात्रों के शुल्क से प्राप्त सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा शिक्षकों के वेतन पर व्यय किया जाय तथा प्रवक्ता/प्राचार्य को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतनमान/वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त प्रवक्ता/प्राचार्य एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
- 3 प्रवक्ता/प्राचार्य के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

(प्रो) शातनु रस्तोगी

.कुलसचिव